अग्नि बीमा

आवरण :

यह पॉलिसी आवास, कार्यालयों, होटल, दुकानों और औद्योगिक निर्माण जोखिम और जनोपयोगी सेवाओं, टैंक फार्म्स/गैस होल्डर (औद्योगिक निर्माण इकाइयों के बाहर स्थित) के जोखिमों को आवरित करती है । केवल एक मानक अग्नि और विशेष जोखिम पॉलिसी पूर्वानुमति से ''एड ऑन कवर'' (यदि कोई हो तो) के साथ जारी की जा सकती है ।

उपर्युक्त पॉलिसी के अंतर्गत आवरण इस प्रकार हैं :

ए) अग्नि
बी) तड़ित
सी) विस्फोटन / अतः स्फोट
डी) विमान से हानि
ई) उपद्रव हड़ताल तथा द्वेषपूर्ण हानि
एफ) तूफान, चक्रवात, बवंडर, झंझावात/आंधी, हरीकेन, टोरनेडो बाढ़ तथा आप्लावन
जी) संघात हानि
एच) भूघसकन और भूस्खलन (चट्टानों का गिरना भी शामिल है)
आई) वाटर टैंक उपकरण और पाइप फटना और/अथवा ओवर फ्लो करना
जे) मिसाईल परीक्षण ऑपरेशन
के) ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर स्थापन से रिसाव तथा
एल) बुश फायर ।

आतंकवाद :

यह एक वैकल्पिक आवरण है जिसे अतिरिक्त पर्याप्त प्रीमियम लेकर जारी किया जा सकता है ।

प्रीमियम :

औद्योगिक निर्माण इकाईयों के बाहर स्थित आवास, कार्यालयों, होटलों, औद्योगिक निर्माण जोखिम तथा जनसेवाओं, टैंक फार्म्स/गैस होल्डर के जोखिमों के लिए अलग से प्रीमियम रेट दिए गए हैं ।

विशिष्ट ''एड ऑन कवर्स'' के लिए भी प्रीमियम अलग से दिया गया है ।

एड ऑन कवर्स :

1) वास्तुशिल्पी, सर्वेक्षक और सलाहकार इंजीनियर फीस (दावा राशि के 3 % का आधिक्य)
2) मलबा हटाना (दावा राशि का 1% का आधिक्य)
3) कोल्ड स्टोरेज परिसर में ''स्टॉक'' का खराब होना
4) जंगल की आग, बीमाधारक के अपने रेल/रोड़ वाहनों के कारण परिणामी क्षति, फोर्कलिफ्ट, क्रेन आदि स्वतः प्रज्ज्वलन
5) कुछ जोड़ने, परिवर्तित करने या विस्तारित करने के लिए लोप (ऑमिशन)
6) भूकंप
7) सामान खराब होने से हानि आवरण
8) रिसाव और संदूषण आवरण
9) स्टॉक को अस्थायी रुप से हटाने का क्लॉज
10) किराये की हानि क्लॉज, वैकल्पिक व्यवस्था के लिए किराये का अतिरिक्त खर्च
11) प्रारंभिक खर्च
12) स्वतः समायोजन धारा (क्लॉज) ।
13) पिघले हुए सामान के फैलाव के कारण हानि (एफ टी/15/2011 दिनांक 30/7/2001)

आवास

नीचे दी गई दो प्रणालियों के आधार पर आवासों के लिए दीर्घावधि पॉलिसियाँ निम्नलिखित 2 शर्तो के अधीन जारी की जाएगी :

- पॉलिसी न्यूनतम 3 वर्ष की अवधि के लिए होगी ।
- परिपत्र संख्या एफटी/4/05 ता. 31/3/2005 के अनुसार बीमाधारक के अनुरोध पर ऐसी पॉलिसियों का मध्यावधि निरस्तीकरण की अनुमति दी जायेगी जो इस बात के अधीन होगी ।

  क. यदि पॉलिसी प्रारंभ के 3 वर्षों में रद्द की जाती है तो प्रतिधारित (रिटेन) किये जाने वाला प्रीमियम सामान्य दरों के अनुसार लागू होगा - जो कि बिना किसी छूट के आधार पर होगा ।

FIRE INSURANCE

COVERAGE :

Covers Dwellings, Offices, Hotels, Shops, and Industrial, Manufacturing risks & Utilities, tank forms/gas holders located outside the Industrial Manufacturing risks. Only Standard Fire & Special Perils policy with the permitted ADD ON COVERS, if any, can be issued.

The perils covered under the above policy are :

a) Fire
b) Lightning
c) Explosion/Implosion
d) Aircraft Damage
e) Riot strike and Malicious Damage
f) Storm, cyclone typhoon tempest hurricane tornado flood and inundation
g) Impact Damage
h) Subsidence and landslide including rockslide
i) Bursting and/or overflowing of water tanks apparatus and pipes
j) Missiles testing operation
k) Leakage from automatic sprinkler installation and
l) Bush fire.

TERRORISM :

It is an optional cover with appropriate extra premium.

PREMIUM :

The premium rates are given separately for Dwellings, Offices, Hotels, Shops, Industrial, Manufacturing risks & Utilities, tank forms/gas holders located outside the Industrial Manufacturing risks.

Premium for specific Add on Covers are also separately given.

ADD ON COVERS :

1) Architects, Surveyors and Consulting Engineers Fees (in excess of 3 % of claim amount)
2) Removal of Debris (in excess of 1% of claim amount)
3) Deterioration of Stocks in Cold storage premises
4) Forest Fire, Impact Damage, Spontaneous Combustion
5) Omission to insure additions alterations or extensions
6) Earthquake
7) Spoilage Material Damage Cover
8) Leakage and Contamination Cover
9) Temporary Removal of Stocks Clause
10) Loss of Rent Clause, Additional expenses of Rent for alternative accommodation.
11) Startup expenses
12) Escalation
13) Damage due to molten material spillage (FT/15/2011 dtd. 30/7/2001)

DWELLINGS

Long-term policy will be issued for Dwellings based on either of the following 2 methods

Subject to the conditions mentioned below :

- Policy shall be for a minimum period of 3 years.
- Refund shall be allowed for mid term cancellation as per Circular FT/4/05 dtd. 31/3/2005.

  a. If the policy is cancelled within 3 years of inception, the premium to be retained shall be worked out as per normal rates applicable – that is without allowing any discount.

  ख. यदि पॉलिसी प्रारंभ के 3 वर्षों में रद्द की जाती है, तो छूट का स्लैब का पुनः आकलन उन वर्षों की संख्या के आधार पर होगा जितने वर्षों तक पॉलिसी वास्तविक रुप से जारी थी । इस प्रयोजन के लिए वर्ष के उस अंश की आगामी उच्चतर वर्ष के लिए पूर्ण समझना चाहिए । उदाहरणतया, यदि एक पॉलिसी 3 वर्षों व 3 महीनों तक चल रही थी, उसका प्रतिधारित (रिटेन) प्रीमियम 4 वर्षों का प्रतिधारित (रिटेन) होगा ।

  ग. धन वापसी (रिफंड), अगर हो तो, प्रतिधारित प्रीमियम कम से कम रु. 100/- के अधीन होगा, जैसा कि ए.आई.एफ.टी. के खंड I के नियम क्रमांक 6 में दर्शाया गया है ।

- आपदाओं को मध्यावधि में जोड़ने की अनुमति नहीं होगा ।
- पूरी पॉलिसी अवधि का प्रीमियम अग्रिम रुप में एक साथ लिया जायेगा ।

प्रणाली 'ए' :

बिना किसी छूट के पूर्ण प्रीमियम लिया जाएगा । किंतु प्रत्येक 12 माह की समाप्ति पर बीमित राशि अपनी मूल बीमित राशि से 10% बढ़ी हुई समझी जाएगी ।

अथवा

प्रणाली 'बी' :

इसमें प्रणाली 'ए' की तरह बीमित राशि में स्वतः वृद्धि नहीं होगी । किंतु नीचे दी गई सारणी के अनुसार सकल प्रीमियम पर छूट दी जाएगी ।

पॉलिसी अवधि	लिया जानेवाला दीर्घावधि पॉलिसी प्रीमियम
3 वर्ष की पॉलिसी	15% छूट के साथ 3 वर्ष का अग्रिम प्रीमियम
4 वर्ष की पॉलिसी	20% छूट के साथ 4 वर्ष का अग्रिम प्रीमियम
5 वर्ष की पॉलिसी	25% छूट के साथ 5 वर्ष का अग्रिम प्रीमियम
6 वर्ष की पॉलिसी	30% छूट के साथ 6 वर्ष का अग्रिम प्रीमियम
7 वर्ष की पॉलिसी	35% छूट के साथ 7 वर्ष का अग्रिम प्रीमियम
8 वर्ष की पॉलिसी	40% छूट के साथ 8 वर्ष का अग्रिम प्रीमियम
9 वर्ष की पॉलिसी	45% छूट के साथ 9 वर्ष का अग्रिम प्रीमियम
10 वर्ष और इससे अधिक	50% छूट के साथ 10 वर्ष का अग्रिम प्रीमियम

टिप्पणी : छूट आधारभूत अग्नि प्रीमियम पर उपलब्ध होगी ।

उत्पादों का वर्गीकरण - अग्नि बीमा

बीमित राशि के आधार पर अग्नि बीमा पॉलिसी के अंतर्गत जोखिम का वर्गीकरण इस प्रकार है :

उत्पाद	उत्पादों का वर्गीकरण	
	वर्ग दरें	वैयक्तिक दरें
	बीमित राशि की सीमा	बीमित राशि की सीमा
मानक अग्नि व विशिष्ट जोखिम पॉलिसी	सामान की हानि पर रु. 5 करोड़ तक	सामान की हानि पर रु. 5 करोड़ से अधिक
परिणामी हानि पॉलिसी	जहाँ सामान की हानि की बीमित राशि रु. 5 करोड़ तक हो ।	जहाँ सामान की हानि की बीमित राशि रु. 5 करोड़ से अधिक हो ।
पैट्रोकेमिकल्स जोखिम	—	कम से कम रु. 50 करोड़ ।

  b. If the policy is cancelled after 3 years of inception, the discount slab shall be reworked for the number of years the policy was actually in force. For this purpose fraction of a year shall be rounded to the next higher year. For example, if the policy has run for 3 years and 3 months, premium shall be retained for 4 years.

  c. Refund, if any, shall be subject to the retention of minimum premium of Rs.100/- as provided under Rule No.6 of Section I of AIFT.

- Mid term inclusion of perils shall not be allowed.
- Premium for the entire policy period shall be collected in advance.

METHOD A :

Premium shall be charged in full without any discount. However sum insured under the policy shall be deemed to have increased by 10% of the original sum insured at the end of every 12 months period.

OR

METHOD B :

There shall not be any automatic increase in sum insured as in Method A. However appropriate discounts shall be allowable on gross premium as per table below :

Duration of Policy	Long Term Policy Premium to be charged
3 Years policy	3 years premium in advance less 15% Discount
4 Years Policy	4 years premium in advance less 20% Discount
5 Years Policy	5 years premium in advance less 25% Discount
6 Years Policy	6 years premium in advance less 30% Discount
7 Years Policy	7 years premium in advance less 35% Discount
8 Years Policy	8 years premium in advance less 40% Discount
9 Years Policy	9 years premium in advance less 45% Discount
10 years and above	10 years premium in advance less 50% Discount

Note : Discount is applicable on basic Fire Premium

CLASSIFICATION OF PRODUCTS – FIRE INSURANCE

Risks under Fire Insurance have been categorised on the basis of Sum Insured as follows :

PRODUCT	CATEGORISATION OF PRODUCTS	
	CLASS RATED	INDIVIDUAL RATED
	LIMIT OF SUM INSURED	LIMIT OF SUM INSURED
Standard Fire and Special Perils Policy.	Up to Rs.5 crores on Material Damage.	Beyond Rs.5 crores on Material Damage.
Consequential Loss Policy.	Where MD sum insured is up to Rs.5 crores	Where MD sum insured is beyond Rs.5 crores.
Petrochemical Risk	—	Minimum Rs.50 crores.

अग्नि प्रस्तावों में दरों का स्वरुप

ए. ए आई एफ टी के अनुसार दर ।

बी. घटाएं : एस टी एफ आई तथा आर एस एम डी को हटाने के लिए दर ।

सी. एफ एल ई एक्स ए दर (ए - बी)

डी. घटाएं : एफ एल ई एक्स ए दर में तकनीकी तथा विवेकाधीन छूट ।

ई. निवल दर (सी - डी) ।

एफ. जोड़े : एस टी एफ आई ।

भूकंप आवरण ।

जी. पॉलिसी दर (ई + एफ) ।

एच. निवल प्रीमियम ।

आई. एड-आन आवरण यदि विकल्प लिया है के लिए प्रीमियम ।

जे. आतंकवाद आवरण के लिए प्रीमियम ।

के. कुल प्रीमियम (एच + आई + जे) ।

एल. सेवा कर ।

एम. सेवा कर सहित कुल प्रीमियम ।

छूट के लिए, अभिकर्ता संबंधित **प्रचालन कार्यालय** के कार्यालय प्रभारी से संपर्क करें ।

फ्लोटर पॉलिसी

फ्लोटर पॉलिसी एक ही बीमित राशि के अंतर्गत 10% अतिरिक्त प्रीमियम के साथ विभिन्न स्थलों पर स्टॉक के लिए जारी की जा सकती है ।

अल्प - अवधि के प्रीमियम मापक

यथा अनुपात आधार पर प्रीमियम + 10% निम्नलिखित पर लिया जा सकता है ।

क) 12 महीने से कम अवधि के लिए नवीकृत अथवा जारी पॉलिसी ।

ख) ऐसी पालिसियाँ जो चालू अवधि के दौरान बीमाधारक के अनुरोध पर रद्द की गई ।

वर्ग नियत और व्यक्ति नियत उत्पादों के अंतर्गत यदि कोई तकनीकी छूट उपलब्ध हो तो इसकी जानकारी बीमा लेखन कार्यालय से लेनी चाहिए ।

घोषणा पॉलिसी

स्टॉक मूल्य में निरंतर घट-बढ़ की देखभाल करने के लिए घोषणा पॉलिसी को 50% प्रीमियम प्रतिधारण की शर्त पर, जारी किया जा सकता है ।

अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीक के
न्यू इंडिया एश्योरेंस कं. लि. के कार्यालय से संपर्क करें ।

कानूनी व्याख्या के लिए अंग्रेजी अवतरण मान्य होगा ।

''बीमा आग्रह की विषय वस्तु है''

RATING PATTERN FOR FIRE PROPOSALS

A. Rate as per AIFT.

B. Less : Rate for deletion of STFI and RSMD.

C. FLEXA Rate (A - B).

D. Less : Technical & Discretionary Discount on FLEXA Rate.

E. Net Rate (C - D).

F. Add : STFI.

Earthquake Cover.

G. Policy Rate (E + F).

H. Net Premium.

I. Premium for Add-on Covers if opted.

J. Premium for Terrorism Cover.

K. Total Premium (H + I + J).

L. Service Tax.

M. Total Premium including Service Tax.

For Discounts, Agents to approach the concerned **Operating Office Incharge**.

FLOATER POLICY

Floater policy can be issued for stocks at various locations under one SI with 10% extra premium.

SHORT PERIOD SCALES OF PREMIUM

To be charged as pro-rata premium + 10% applicable on the following :

a) Policies issued or renewed for periods shorter than 12 months and

b) Policies, which are cancelled during currency at the request of the insured.

The Technical Discount, as per the regulations, if any available under the class rated and individual rated products has to be obtained from the Underwriting Office.

DECLARATION POLICY

To take care of frequent fluctuation in stock values declaration policy can be issued subject to minimum retention of 50% premium.

For further details contact your
nearest NIA Office.

For legal interpretation English version
will hold good.

"Insurance is the subject matter of Solicitation"

दि न्यू इंडिया एश्योरेंस कं. लि. प्रीमियर, बहुराष्ट्रीय गैर जीवन बीमा कंपनी है, जिसके 2472 प्रचालन कार्यालय हैं और भारत की समस्त कंपनियों की अग्रणी इस कंपनी ने विविध उत्पादों की लंबी सूची के साथ ही भारत की पहली एयर लाइन से लेकर उपग्रह तक का बीमा किया है और इसका प्रधान कार्यालय मुंबई में स्थित है ।

The New India Assurance Co. Ltd. is the Premier, Multinational the non-life insurance company with more than 2472 operating offices and is a pioneer among Indian Companies, insuring the first domestic air-line to satellite with an array of products and having its Head Office at Mumbai.

हम **जनता व्यक्तिगत दुर्घटना, पशु, समुद्रपारीय मेडीक्लेम, किसानों के लिए पैकेज बीमा** और अन्य बहुत से क्षेत्रों का भी बीमा करते हैं ।

We also insure risks relating to **JANTA PERSONAL ACCIDENT, CATLE, OVERSEAS MEDICLAIM, FARMERS PACKAGE INSURANCE** and a lot more.

NEW INDIA ASSURANCE
दि न्यू इन्डिया एश्योरन्स कंपनी लिमिटेड
The New India Assurance Co. Ltd

दि न्यू इन्डिया एश्योरन्स कंपनी लिमिटेड
The New India Assurance Company Limited
(भारत सरकार का उपक्रम / Government of India Undertaking)

प्रधान कार्यालय / Head Office

न्यू इन्डिया एश्योरंस बिल्डिंग, 87, महात्मा गांधी रोड,
फोर्ट, मुंबई - 400 001.
New India Assurance Building, 87, M. G. Road,
Fort, Mumbai - 400 001.
(आई.आर.डी.ए. पंजीकरण संख्या / IRDA Registration No. : 190)
सी.आई.एन. संख्या / CIN No. : L66000MH1919GOI000526
Website : www.newindia.co.in

Vaikunth Prints
vaikunth_p2009@yahoo.in

अग्नि बीमा के लिए संपूर्ण सुरक्षा

Overall SURAKSHA for Fire Insurance

हम आपकी **अग्नि** से सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं

We ensure that Fire is Secured

NEW INDIA ASSURANCE
दि न्यू इन्डिया एश्योरन्स कंपनी लिमिटेड
The New India Assurance Co. Ltd

दि न्यू इन्डिया एश्योरन्स कंपनी लिमिटेड
The New India Assurance Company Limited
(भारत सरकार का उपक्रम / Government of India Undertaking)

आपकी आर्थिक सुरक्षा हमारी प्राथमिकता हैं
Your financial security is our prime concern